निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 155/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती नेहा वर्मा पत्नी श्री नीतिन बदलानी निवासी एस 214, ग्राम माचडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अरूण शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) ।
2. श्रीमती वीना बदलानी पत्नी श्री प्रियतम बदलानी पुत्री श्री प्रीतम दास बदलानी निवासी एस –214, ग्राम माचडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल दिवराला, सीकर
3. नीतिन बदलानी पुत्र श्री प्रियतम बदलानी निवासी एस –214, ग्राम माचडा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 55/2024 व उनवानी श्रीमती वीना बदलानी बनाम नीतिन बदलानी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री आर॰ के॰ वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भंवर सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 07.07.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 55/2024 व उनवानी श्रीमती वीना बदलानी बनाम नीतिन बदलानी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री भंवर सिंह शेखावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 विगत तारीख पेशी दिनांक 28.11.2024 को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये थे, तदुपरान्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.12.2024 की नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी से सम्पर्क कर बताया है कि हमने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बातचीत करली है । प्रकरण का फैसला हमारे हक में हो कर रहेगा। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की उक्त धमकियों से प्रार्थिया को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अधीनस्थ अधिकरण से प्रकरण में प्रार्थिया के पक्ष में न्याय होने की कोई उम्मीद शेष नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को चौमू स्थित समकक्ष न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर चौमू न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थिया ने प्रकरण का चौमू न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थिया द्वारा न्यायालय विशेष में प्रकरण का स्थानान्तरण चाहा है जो अपने आप में संदेह पैदा करता है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थिया ने चौमू स्थित न्यायालय में प्रकरण को ट्रान्सफर कराना चाहा है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner